राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

2024-25

अभियोजन निदेशालय,

प्रशासनिक विभाग गृह, (ग्रुप–10) विभाग

राजस्थान, जयपुर

विषय–सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	विभाग का संगठनात्मक ढॉचा	1–2
2.	स्वीकृत–कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण।	3–4
3.	विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलोच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्षो से तुलना।	5–8
4.	आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियां।	9
5.	सार–संक्षेप (Excutive Summary)	10–12

1. अभियोजन विभाग का संगठनात्मक ढॉचाः—

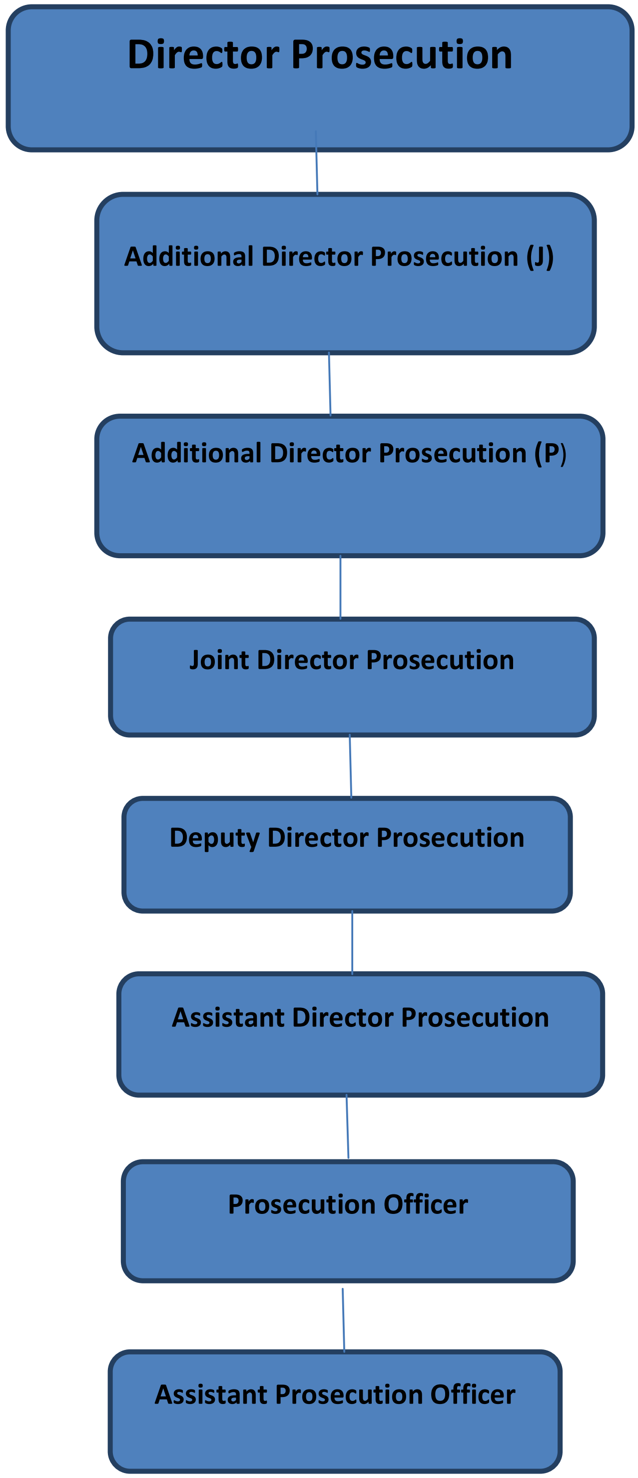

अभियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढ़ांचा

1.	निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)
2.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन,न्याय / अभियोजन(मुख्यालय स्तर पर)
3.	संयुक्त निदेशक अभियोजन(सतर्कता)
4.	उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5.	सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
6.	वरिष्ठ विधि अधिकारी
7.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम
8.	निजी सचिव
9.	अतिरिक्त निजी सचिव / निजी सहायक प्रथम / निजी सहायक द्वितीय
10.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी / सांख्यिकी निरीक्षक
11.	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार
12.	संस्थापन अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी एवं मंत्रालयिक कर्मचारी
13.	प्रोग्रामर / सूचना सहायक
14.	जमादार / च.श्रे. कर्मचारी

2. स्वीकृत—कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरणः—

क.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1.	निदेशक अभियोजन	01	00	01	शासन सचिव, गृह (विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी के पास अतिरिक्त प्रभार
2.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्यायिक सेवा)	01	01	00	—
3.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन सेवा)	02	01	01	1 पद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो । 1 पद, अभियोजन निदेशालय।
4.	संयुक्त निदेशक अभियोजन	13	00	13	01 पद, संयुक्त निदेशक अभियोनज (सतर्कता), अभियोजन निदेशालय। 08 पद, संभाग स्तर पर। 02 पद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। 02 पद, उच्च न्यायालय, जयपुर एवं जोधपुर।
5.	उप निदेशक अभियोजन/ लोक अभियोजक	39	11	28	01 पद, अभियोजन निदेशालय मुख्यालय। 01 पद, लोक अभियोजक श्रीगंगानगर । 01 पद, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध)। 36 पद, जिला मुख्याालय पर।
6.	सहायक निदेशक अभियोजन /विशिष्ठ लोक /अपर लोक अभियोजक	109	83	26	15 पद, अपर लोक अभियोजक (ADJ COURT)। 01 पद, बम ब्लास्ट न्यायालय जयपुर (DJ COURT)। 17 पद, विशिष्ठि लोक अभियोजक (ADJ COURT)। 18 पद, न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (ADJ COURT)। 07 पद, पीसीपीएनडीटी (ACJM COURT)*। 06 पद, रेलवे (ACJM COURT)*। 01 पद, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (ATS & SOG)। 01 पद, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध)। 02 पद, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर। 02 पद, राजस्थान पुलिस अकादमी। 01 पद, रेरा न्यायालय, जयपुर। 36 पद, जिला मुख्यालय पर(पुलिस अधिक्षक एवं एसीबी को अनुसंधान में विधिक राय हेतु)। 01 पद, अभियोजन निदेशालय। 01 पद, निदेशालय चिकित्सा विभाग, (PCPNDT Cell)।
7.	अभियोजन अधिकारी	301	298	03	36 पद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 262 पद, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। 02 पद, जयपुर विकास प्राधिकरण (ACJM COURT)। 01 पद, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध)।
8.	सहायक अभियोजन अधिकारी	489	222	267	न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयो मे अभियोजन पैरवी हेतु।

नोटः—* **अभियोजन सेवा के कैडर के सम्बंध में निर्णय लंम्बित है।**

9.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	02	02	00	—
10.	निजि सचिव	02	02	00	
11.	अतिरिक्त निजी सचिव	03	02	01	—
12.	संस्थापन अधिकारी	14	11	03	—
13.	प्रशासनिक अधिकारी	44	39	05	
14.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	101	93	08	—
15.	निजि सहायक प्रथम	05	02	03	—
16.	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	01	01	00	—
17.	कनिष्ठ लेखाकार	24	17	07	—
18.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	01	00	—
19.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	01	01	00	—
20.	सांख्यिकी निरीक्षक	01	01	00	—
21.	निजी सहायक द्वितीय	08	08	00	—
22.	प्रोग्रामर	01	00	01	—
23.	सहायक प्रोग्रामर	05	05	00	—
24.	सूचना सहायक	34	16	18	—
25.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	191	46	145	—
26.	वरिष्ठ सहायक	272	252	20	—
27.	कनिष्ठ सहायक	537	323	214	—
28.	ड्राईवर	01	01	00	—
29.	जमादार	31	09	22	—
30.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	853	107	746	—
31.	**योग**	**3087**	**1555**	**1532**	**—**

3. **विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलोच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्षो से तुलनाः —**

अभियोजन विभाग का मुख्य कार्य आपराधिक प्रकरणो मे पैरवी किया जाना है। इस संबंध मे पैरवी की व्यवस्था निम्नानुसार है :—

(I) न्यायिक मजिस्ट्रेट — राज्य के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में राजस्थान अधीनस्थ अभियोजन सेवा के सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है ।

(II) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट— राज्य के सभी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन/अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है ।

(III) विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम — राज्य मे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरणो की सुनवाई हेतु राज्य मे 18 न्यायालय सृजित है। इन न्यायालयो मे पैरवी हेतु राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 18 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(IV) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम — राज्य मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम मे गठित विशेष न्यायालयो मे से राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 9 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(V) विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचार — राज्य मे गठित विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचारो मे से 2 न्यायालयो मे से राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 2 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(VI) विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी , विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड — राज्य मे विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी , विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड में सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी विशिष्ट लोक अभियोजक के रुप में पैरवी कर रहे है।

आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलनाः—

राज्य क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष जनवरी, 2024 से दिसम्बर 2024 तक की अवधि में समस्त अभियोजन अधिकारियो द्वारा समस्त अपराध वर्गों के 1134726 अपराध प्रकरणों में पैरवी कार्य किया गया। पैरवी किये गये उक्त प्रकरणों मे से 421271 (37.12 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 713455 (62.88 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें। समस्त अपराध वर्ग में दोष सिद्धि (81.55 प्रतिशत) रहा है।

उक्त कुल विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणों की संख्या 615092 थी, जिनमे से 92266 (15.65 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 518826 (84.35 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें, जिसमें दोष सिद्धी 47.16 प्रतिशत रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित माह दिसम्बर 2024 तक 3930 अभियोग विचाराधीन रहें, जिनमें 331 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 3599 प्रकरण लम्बित रहें तथा दोष सिद्धी का प्रतिशत 29.9 प्रतिशत रहा है।

माह दिसम्बर 2024 तक महिलाओ पर अत्याचार से संबंधित कुल 78107 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 15587 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 62520 प्रकरण लम्बित रहें हैं। दोषसिद्वि 19.21 प्रतिशत रही।

माह जनवरी 2024 से जून 2024 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुल 22786 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 1424 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 21362 प्रकरण विचाराधीन हैं। सजायबी 22.23 प्रतिशत रहा एवं निर्णय का प्रतिशत 6.25 रहा।

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत् 3 वर्षों में **अन्य अपराध वर्ग** अंतर्गत दर्ज/ निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा :—

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2022	वर्ष 2023	वर्ष 2024 दिसम्बर तक
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	693464	672751	716993
2.	दायर	317107	285222	417733
3.	योग	1010571	957973	1134726
4.	कमिट (—)	9525	10181	8847
5.	कुल विचाराधीन प्रकरण	1001046	947792	1125879
अ.	दोषसिद्धि	154043	124553	126581
ब.	दोषमुक्ति	17928	21774	28631
स.	अन्य ढंग से	156324	84472	257212
6.	कुल निर्णित प्रकरण	328295	230799	412424
7.	व़र्ष के अन्त में शेष प्रकरण	672751	716993	713455
8.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	89.57	85.12	81.55
9.	निर्णय का प्रतिशत	32.80	24.35	36.63

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत् 3 वर्षों में **भारतीय दण्ड सहिता** अंतर्गत दर्ज/ निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा :—

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2022	वर्ष 2023	वर्ष 2024 दिसम्बर तक
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	497484	506510	524406
2.	दायर	116376	107496	90686
3.	योग	613860	614006	615092
4.	कमिट (—)	9109	9928	8371
अ.	कुल विचाराधीन प्रकरण	604751	604078	606721
ब.	दोषसिद्धि	21488	21915	22019
स.	दोषमुक्ति	15698	18803	24669
द.	अन्य ढंग से	61055	38954	41207
5.	कुल निर्णित प्रकरण	98241	79672	87895
6.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	506510	524406	518826
7.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	57.79	53.82	47.16
8.	निर्णय का प्रतिशत	16.24	13.19	14.49

4. **आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियांः—**

1. **वी.सी. से साक्ष्य—**विभाग द्वारा अधिकतम संख्या में सरकारी गवाहन, विशेषकर डॉक्टर्स, सेवानिवृत अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अधिकांश गवाहन के साक्ष्य वी.सी की मदद से करवाये जाने हेतु प्रत्येक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रतिमाह 20 एवं सैशन विशिष्ठ न्यायालयों में प्रतिमाह 10—15 बयान जरिये वी.सी लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में वर्ष 2024 में 4477 साक्ष्य जरिये वी.सी करवाये गयें।
2. **ई—संसाधन हेतु बजट—**ICJS के संबंध में ई—संसांधन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 9,08,20,000 एवं Network connectivity (number of sites where capex is needed) FUNDS के लिए 6,66,00,000 रूपये का बजट आवंटन किया गया है। उक्त बजट के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3. अभियोजन विभाग में अभियोजन अधिकारीगणों के प्रशिक्षण हेतु 10.00 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है। उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

5 सार–संक्षेप (Excutive Summary):–

1. राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों में अभियोजन सफलता का प्रतिशत वर्ष जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024 तक भा.द.सं. के अन्तर्गत 47.16 प्रतिशत तथा समस्त अपराध वर्ग में 81.55 रहा है।
2. **पदौन्नति –**

(अ) <u>अभियोजन सेवा –</u>

1. उप निदेशक अभियोजन से अतिरिक्त निदेशक अभियोजन की वर्ष 2023–24 की पदोन्नति की जा चुकी है।
2. संयुक्त निदेशक अभियोजन पद की वर्ष 2023–24 की पदोन्नति प्रक्रियाधीन है।
3. सहायक निदेशक अभियोजन से उप निदेशक अभियोजन की वर्ष 2023–24 की पदोन्नति की जा चुकी है।
4. अभियोजन अधिकारी से सहायक निदेशक अभियोजन पद की वर्ष 2023–24 की पदोन्नति की जा चुकी है।
5. सहायक अभियोजन अधिकारी से अभियोन अधिकारी पद पर वर्ष 2023–2024 की जा चुकी है।

(ब) <u>मंत्रालयिक सेवाः–</u>

1. अतिरिक्त निजी सचिव से निजी सचिव के पद की वर्ष 2024–25 की पदोन्नति हेतु पद रिक्त नहीं है।
2. निजी सहायक ग्रेड–1 से अतिरिक्त निजी सचिव के पद की वर्ष 2024–25 की पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं।
3. निजी सहायक ग्रेड–द्वितीय से निजी सहायक ग्रेड–प्रथम की वर्ष 2015–16 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। इसके पश्चात शीघ्र लिपिक के पदों पर कोई कार्मिक निजी सहायक के पद हेतु पात्रता नही रखता है।
4. प्रशासनिक अधिकारी पद से संस्थापन अधिकारी के पद पर वर्ष 2024–25 की पदोन्नति की जा चुकी है।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद से प्रशासनिक अधिकारी पद की वर्ष 2024–2025 की पदोन्नति की जा चुकी है।
6. सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद की वर्ष 2024–25 की पदोन्नति की जा चुकी है।
7. वरिष्ठ सहायक पद से सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद की वर्ष 2024–25 की पदोन्नति प्रक्रियाधीन है।
8. कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक की वर्ष 2024–25 की पदोन्नति प्रक्रियाधीन है।
9. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक पद की वर्ष 2024–25 की पदोन्नति प्रक्रियाधीन है।

3 **भवनों के सम्बन्ध में:—**अभियोजन विभाग में भवनों के सम्बंध में सूचना निम्नानुसार है:—

(I) **वित्तीय वर्ष 2021—22—** के अन्तर्गत जिला मुख्यालय कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, बूंदी एवं अभियोजन अधिकारी कार्यालय फागी, जयपुर देहात के भवन निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है। सहायक निदेशक अभियोजन, बूंदी के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होकर, कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। अभियोजन कार्यालय फागी के कार्यालय हेतु भूमि विनिमय की कार्यवाही पूर्ण होकर, नई भूमि आवंटित हो चुकी है।

(II) **वित्तीय वर्ष 2022—23—** के अन्तर्गत अभियोजन कार्यालय कुचामन सिटी (नागौर), दूनी(टोंक), ग्राम न्यायालय पींसागन(अजमेर), सराडा(उदयपुर), एवं जिला मुख्यालय कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, प्रतापगढ के भवन निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। उक्त में से अभियोजन कार्यालय **कुचामन सिटी (नागौर), सराडा(उदयपुर), सहायक निदेशक अभियोजन प्रतापगढ का निर्माण कार्य पूर्ण होकर कब्जा प्राप्त कर लिया।** अभियोजन कार्यालय दूनी(टोंक) को आवंटित भूमि का भूमि—विनिमय कार्य किया जा रहा है। शेष भवन ग्राम न्यायालय पीसांगन(अजमेर) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(III) **वित्तीय वर्ष 2024—25** के अन्तर्गत **वित्तीय वर्ष 2023—24** हेतु संशोधित स्वीकृति 98.13 लाख की जारी की गई। उक्त के साथ वित्तीय वर्ष 2024—25 में एपीओं कार्यालय, उनियारा(टोंक),एपीओं कर्यालय, रावतसर(हनुमानगढ), गंगापुर सिटी प्रथमतल (सवाई माधोपुर), अभियोजन कार्यालय, केकडी(अजमेर), उप निदेशक अभियोजन, सवाई माधोपुर, एपीओं कार्यालय, चाकसू(जयपुर), पीओ कार्यालय, बस्सी(जयपुर), उप निदेशक अभियोजन, धौलपुर, उप निदेशक अभियोजन, बांसवाडा, एपीओं कार्यालय, बागीदौरा(बांसवाडा), एपीओं कार्यालय असापुर एवं ग्राम न्यायालय आसपुर(डूंगरपुर), उप निदेशक अभियोजन, करौली, दौसा जिला मुख्यालय पर 5 अभियोजन कार्यालय, उप निदेशक अभियोजन, उदयपुर प्रथम तल, एपीपी कार्यालय फागी, जयपुर हेतु 798.34 लाख की स्वीकृति जारी की गई।

4 **नियुक्तिः—** विभाग द्वारा वर्ष 2024 में 02 अभ्यर्थी को सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। उक्त के अतिरिक्त 10 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक पद पर एवं 03 अभ्यर्थियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गई।

5 **पद सृजन—** विभाग में वर्ष 2024 में 35 नवसृजित न्यायालयों में 35 पद सहायक अभियोजन अधिकारी, 35 पद कनिष्ठ सहायक एवं 35 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सृजित किये गयें है।

6 **ई—प्रोसेक्यूशन डाटा एन्ट्री— भारत सरकार के गृह मंत्रालस के National Crime Records Bureau (NCRB) नई दिल्ली द्वारा Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS) प्रोग्राम का कियान्वयन किया जा रहा है। ई—प्रोसीक्यूशन उक्त प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण कार्य है।** विभाग द्वारा माह जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024 तक कुल 882431 प्रविष्टियॉ की गई है।

7 **बजट** — अभियोजन विभाग से संबंधित परिवर्तित आय—व्ययक अनुमानों के अनुसार बजट मद 2014—00—114—02—01 (State Fund) में वर्ष 2024—25 में रू. 14102.22 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसके विरुद्ध 31.12.2024 तक 9877.97 लाख रुपये का व्यय हो चुका है। अभियोजन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु कार्यालय भवन के निर्माण के लिए बजट मद 4059—80—(051)—08—00—(17) (Plan) मे वित्तीय वर्ष 2024—25 में राशि रू. 503.56 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध 12.12.2024 तक का 08.25 लाख का व्यय हो चुका है।

8 **निरीक्षणः—** वर्ष 2024 में माह जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024 तक विभागीय अधिकारियो द्वारा निरीक्षण के 44.75 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्यो को हासिल किया।

9 **भर्ती हेतु अर्थना** —

(i) विभाग द्वारा दिनांक 26.02.2024 को कुल 181 सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु संशोधित अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रेषित की जा चुकी है। जिसके कम में आयोग द्वारा भर्ती करने हेतु दिनांक 07.03.2024 द्वारा विज्ञापन एवं दिनांक 01.05.2024 द्वारा प्रेसनोट जारी कर सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा वर्ष 2024 हेतु परीक्षा तिथियॉ घोषित की गई, प्रेसनोट अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 19.01.2025 एवं मुख्य परीक्षा दिनांक 01.06.2025 को आयोग द्वारा आयोजित की जा रही है।

....